उत्तरांचल शासन
सिंचाई विभाग
संख्या:262/नौ-1-सिं0/2001
देहरादूनः दिनांकः 29 मार्च, 2001

विज्ञप्ति

केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अनुसार उत्तरांचल राज्य में भूमि कटाव एवं बाढ़ नियंत्रण परिषद का निम्नवत गठन किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1-	माननीय मुख्यमंत्री जी	अध्यक्ष
2-	माननीय सिंचाई मंत्री जी	उपाध्यक्ष
3-	माननीय वित्त मंत्री जी	सदस्य
4-	माननीय कृषि मंत्री जी	सदस्य
5-	माननीय राजस्व मंत्री जी	सदस्य
6-	माननीय आपदा प्रबन्धन मंत्री जी	सदस्य

7- सचिव, सिंचाई/ऊर्जा — सदस्य
8- सचिव, वित्त अथवा उनकी अनुपस्थिति में अपर सचिव, वित्त — सदस्य
9- सचिव, लोक निर्माण विभाग — सदस्य
10- सचिव, राजस्व — सदस्य
11- सचिव, नियोजन विभाग — सदस्य
12- सचिव, कृषि विभाग — सदस्य
13- सचिव, वन विभाग — सदस्य
14- सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग — सदस्य
15- मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) सिंचाई विभाग — सदस्य
16- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) सिंचाई विभाग — सदस्य
17- मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लोक निर्माण विभाग — सदस्य
18- समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग — सदस्य
19- केन्द्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि — सदस्य
20- प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (उत्तरांचल) — सदस्य
21- जल विद्युत निगम एवं ऊर्जा निगम के अधिकृत प्रतिनिधि — सदस्य

22- अधीक्षण अभियन्ता, अनुसन्धान एवं नियोजन मण्डल-1, सिंचाई विभाग, देहरादून। — सदस्य सचिव

परिषद उपरोक्त सदस्यों की सूची के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एक अथवा अन्य व्यक्तियों को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से मनोनीत करने हेतु सक्षम होगी

उपरोक्त परिषद के निम्नांकित दायित्व होगें:-

1- राज्य में भूमि कटाव एवं बाढ़ की स्थिति का ऑकलन करना एवं समय-समय पर इस सम्बन्ध में नीति निर्धारण करतं हुए दैवी आपदा का अनुश्रवण
2- निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्थाई जल विज्ञान ऑकड़ों का एकत्रीकरण/वर्गीकरण सुनिश्चित करना।
3- राज्य में प्रभावी बाढ़ चेतावनी प्रणाली की स्थापना।
4- भूमि कटाव एवं बाढ़ सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यो की प्राथमिकताओं को निर्धारित करना एवं स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वनयन का अनुश्रवण।
5- निर्मित भूमि कटाव एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यो के रख रखाव का अनुश्रवण।

भाग-1
सामान्य प्रक्रिया

1- समस्त प्रकरणों पर परिषद के सदस्यों के ध्यानाकर्षण हेतु सन्दर्भ, सचिव राज्य भूमि कटाव व बाए नियंत्रण परिषद को सम्बोधित किया जायेगा।
2- परिषद की बैठक आवश्यकतानुसार समय-समय पर आयोजित की जायेगी। यथासम्भव प्रत्येक छः माह में एक बार परिषद की बैठक आयोजित की जायेगी।

3- समस्त मुख्य अभियन्ता/विभाग, भूमि कटाव एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यो हेतु अपने प्रस्ताव, सचिव राज्य भूमि कटाव व बाढ़ नियंत्रण परिषद को प्रेषित करेगें। प्रस्तावों के परीक्षणोंपरान्त विचार करने हेतु उक्त परिषद के सदस्यगणों को उनकी प्रतियॉ भेजी जायेंगी।

4- समस्त तकनीकी प्रस्तावों को तकनीकी उपसमिति द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त सूचीबद्ध किया जायेगा। परिषद के विचारार्थ तकनीकी उपसमिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर एक टिप्पणी तैयार की जायेगी एवं इस टिप्पणी में उन बिन्दुओं को इंगित किया जायेगा जिन पर परिषद के द्वारा आदेशों की आवश्यकता होगी। यह टिप्पणी परिषद के समस्त सदस्यों को भेजी जायेगी।

5- परिषद के विचारार्थ समस्त टिप्पणियॉ, परिषद की बैठक से कम से कम 7 दिवस पूर्व परिषद के समस्त सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेंगी एवं तद्नुसार एक कार्य सूची निर्गत की जायेगी। आपातकालीन स्थिति में अध्यक्ष महोदय के आदेशों के अनुसार अतिरिक्त प्रस्तावों को परिषद के विचारार्थ बैठक में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

6- अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरान्त बैठक की कार्यवाही जारी की जायेगी। स्वीकृति के पूर्व के कार्यवृत सदस्यों को प्रेषित किये जायेंगे जिससे आवश्यकतानुसार सदस्यों द्वारा कार्यवाही में यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो उस सम्बंध में उनके द्वारा सुझाव प्रेषित किए जा सकें। इन सुझावों के उपरान्त, परिषद द्वारा विचार करने पर पूर्व में जारी कार्यवृत में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित कार्यवाही के कार्यवृत सदस्यों को प्रेषित किया जायेगें। जिन प्रकरणों पर उत्तरांचल शासन की स्वीकृति की आवश्यकता होगी उनको सचिव भूमि कटाव बाढ़ नियंत्रण परिषद के द्वारा नियंत्रण परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की प्रति सहित सचिव (सिंचाई) उत्तरांचल शासन को स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रेषित किया जायेगा।

भाग-2
आपातकालीन स्वीकृतियों हेतु विशेष प्रणाली

7- सचिव, भूमि कटाव व बाढ़ नियंत्रण परिषद को प्रेषित किये गये समस्त प्रस्ताव सामान्य प्रक्रिया के द्वारा परीक्षित किये जायेंगे। यदि किसी मुख्य अभियन्ता/विभाग द्वारा किसी प्रस्ताव पर आपातकालीन स्थिति में तत्काल विचार करने की आवश्यकता हो तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा विशेष अनुरोध करना होगा।

8- इस सम्बन्ध में विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने पर सचिव, भूमि कटाव एवं बाढ़ नियंत्रण परिषद के माननीय अध्यक्ष के आदेश प्राप्त करने हेतु एक नोट तेयार कर प्रस्तुत करेंगे तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त आदेशों को परिषद की आगामी नियमित बैठक में प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(केशव देसिराजु)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 262/1/नौ-1-सिं0/2001/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सम्बन्धित समस्त विभागों के सचिव।
2- निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रीगणों को उनके संज्ञान में लाने हेतु।
3- मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
4- उपरोक्त सन्दर्भित सदस्यगणें हेतु।

आज्ञा से

(केशव देसिराजु)
सचिव